# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0177 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 23/08/2024 12:34 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): गुरूवार Date From (दिनांक से): 06/06/2024 Date To (दिनांक तक): 06/06/2024
      Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 12:10 बजे Time To (समय तक): 14:00 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 23/08/2024 Time (समय): 10:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 23/08/2024 12:34:45 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 25 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
      (b) Address(पता): NEAR Police Station MANDERLA
      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJESH KAJALA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** TARACHAND

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | MANFARA, MANDRELA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | MANFARA, MANDRELA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHAWAR LAL SAINI | | पिता:MANHOR LAL SAINI | 1. Ward 29,PAHADILA POST CIRANA,NEEM KA THANA,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 3,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| **S.No. (क्र.सं.)** | **UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)** |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

दिनांक 06.06.2024 को समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री राजेश काजला पुत्र श्री ताराचंद, उम्र 46 साल, जाति जाट निवासी मनफरा, पोस्ट जखोडा पुलिस थाना मण्ड्रेला, जिला झुंझुनूं ने कार्यालय उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि, मै राजेश कुमार निवासी मनफरा का हॅू मेरे बडे भाई ने 'मेरी पत्नि को पिटा जिसका मैने मुकदमा मण्ड्रेला थाना में करवाया है मुकदमा न0 73/24 है जिसकी जांच सावरमल हैड कानिस्टेबल कर रहा है जिसका रिडर भंवर लाल कानिस्टेबल है जो मुझे कहता है आपके द्वारा दरज करवाया गया मुकदमें सयोग करुगा ओर मुकदमें का चलान करवा दूंगा जिसके लिए मुझे पांच हजार रुपये दो (5000) मे उसको रुपये नही देना चाहता रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हॅू मेरी उनसे उधारी का लेनदेन नही है नाही कोई रंजिश है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि 155 को कार्यालय के डिजीटल रिकॉर्डिग डिवाईस मय मैमोरी कार्ड के परिवादी के साथ जाकर गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया। दिनांक 06.06.2024 को समय 3.30 पीएम पर श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि0 मय परिवादी श्री राजेश काजला के उपस्थित कार्यालय आये तथा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द कर बताया कि मै व परिवादी राजेश काजला कार्यालय से परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना होकर मण्ड्रेला पहुंचे। पुलिस थाना मण्ड्रेला से कुछ दुरी पहले परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर श्री भंवर लाल रीडर के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु देकर पुलिस थाना मण्ड्रेला के लिए रवाना किया। मै वही आस पास मुकिम हुआ। कुछ समय बाद परिवादी वापस आया तथा मुझे डिजिटल रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मै श्री भंवर लाल जी रीडर साहब के पास मेरे काम संबंधी बात करने के लिए थाने में जा रहा था तब थाने के गेट पर ही श्री भंवर लाल जी मिल गये थे जिन्होने मुझे थाने के बाहर चाय की दुकान पर चलने का ईशारा किया जिस पर मै सामने चाय की दुकान पर चला गयां तथा भंवर लाल जी वही आ गये। कुछ समय बाद भंवर लाल जी मुझे चाय की दुकान के पास स्थित ई-मित्र की दूकान पर ले गये। मैने भंवर लाल जी से मेरे काम के बारे में बातचीत की तो उन्होने मुकदमें में मदद करने एवं मुकदमें का कोर्ट में भेजने की एवज में मेरे से 3000 रुपये रिश्वत के मांगे है। मेरे द्वारा उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। तत्पश्चात मै व परिवादी मण्ड्रेला से रवाना होकर एसीबी चौकी झुंझुनूं आ गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री राजेश काजला से पूछताछ की तो परिवादी ने उक्त बातो की ताईद की। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने चला कर सुना तो डिजिटल टेप रिकार्डर की मैमोरी कार्ड में रिश्वत मांग की रिकार्ड होना पाया गई, जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को अपने पास आलमारी में सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास रुपये की व्यवस्था नही है मै कल सुबह रुपये लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 07.06.2024 को परिवादी श्री राजेश काजला कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि मेरे से श्री भंवर लाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3000 रुपये की व्यवस्था नही हुई है इस कारण मै रिश्वती राशि लेकर नही आया हॅू और परिवादी ने यह भी बताया कि मैने मालुम किया है कि मण्ड्रेला थाने के पुरे स्टाफ का तबादला कर दिया है। अतः श्री सांवरमल हैड कानिस्टेबल एवं श्री भंवर लाल का भी तबादला हो गया है। तत्पश्चात श्री अली हुसैन कानि न0 573 दो स्वतंत्र गवाह श्री दीपक कानिष्ठ सहायक व श्री धर्मेन्द्र पूनिया वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा झुंझुनूं को लेकर आया जिनका परिवादी श्री राजेश काजला से आपसी परिचय करवाया व अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। गवाहान को परिवादी द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमती प्राप्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेश काजला द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी व आरोपी श्री भंवर लाल रीडर के बीच दिनांक 06.06.2024 को हुई थी जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को अलमारी से निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री दीपक, श्री धर्मेन्द्र पूनिया व परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर व मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की कम्प्यूटर के माध्यम से तीन सीडी तैयार की गई। एक सीडी को कपडे की थैली में शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क 'A' अंकित किया गया। शेष सी.डी. आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को गवाहान एवं

परिवादी के समक्ष सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप का रूपान्तरण तैयार कर फर्द वार्ता रुपान्तरण तैयार किया गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में परिवादी राजेश काजला ने स्वयं की व श्री भंवर लाल रीडर एवं अन्य व्यक्ति की आवाज होने की पहचान की। डिजीटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क 'A-1' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। परिवादी द्वारा आरोपी का स्थान्तरण होने की बात बताई है इसलिए ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकती है। परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था होने पर कार्यालय में उपस्थित होवें की मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत दी जाकर रुखसत किया गया। दिनांक 18.06.2024 को परिवादी श्री राजेश काजला कार्यालय उपस्थित आया तथा एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि श्री भंवर लाल कानि. रीडर का पुलिस थाना मण्ड्रेला से स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए अब वो मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा। इस कारण अब श्री भंवर लाल कानि0 रीडर के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नही है। आरोपी भंवर लाल द्वारा परिवादी श्री राजेश काजला से दिनांक 06.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी भंवर लाल परिवादी से कहता है कि "मै थ्हारो इंतजार में बैठो हो हाल बा फाईल कम्पलीट कोनी होई" तब परिवादी कहता है कि "कम्पलीट कोनी करी जणा" तब आरोपी कहता है कि "आज कर दयांगा, आयो कोनी तू, कहता कितना दिन होंग्या, बस खून की धारा, पत्थर की धारा दोनो राखंगा, थ्हे आ रहा कोनी कतां दिन हो ग्या"। श्री भंवर लाल परिवादी की पत्नि द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमे में मदद करने के लिए रिश्वत की मांग कर कहता है कि "कर दो ल्याओ, करो तो जणा" तब परिवादी आरोपी को तीन हजार रुपये की व्यवस्था होने की कहता तब आरोपी कहता है कि "तीन दे दे तो, कोई दिक्कत कोनी" "तीन लियाता तीन कर देता" "तीन कर जाता, म्हारी बात सुणो, ठीक है न" तब परिवादी कहता है "तीन ल्या दू के" तब आरोपी कहता है "ना ना ना, कोई दिक्कत कोनी, ल्या दो कोई दिक्कत कोनी" तब परिवादी कहता है "तीन ल्या दू" तब आरोपी कहता है "ओ हो हो" "हां कोर्ट म भेजांगा, कोर्ट म ईलाज हो जावेगा इबकाले बीको" इस प्रकार आरोपी श्री भंवर लाल कानि0 रीडर द्वारा परिवादी से पांच हजार रुपये की व्यवस्था नही होने पर तीन हजार रुपये देने की कहता है। तब परिवादी ने कहा कि तीन हजार रुपये नही लेकर आया तब आरोपी कहता है तीन हजार रुपये लेकर आ जाते तो आपका काम तीन हजार में कर देता। आरोपी भंवर लाल कानि0 रीडर मुकदमें आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं चालान कोर्ट में पेश करने की एवज में परिवादी से पहले 5000 रुपये रिश्वत की मांग करता है। परिवाद के पास 5000 रुपये की व्यवस्था नही होने पर तीन हजार रुपये लाकर देने की कहता तब आरोपी 3000 रुपये लाने की कहता है। इस प्रकार आरोपी द्वारा परिवादी से 3000 रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया है। अत आरोपी श्री भंवर लाल सैनी पुत्र श्री मनोहर लाल सैनी उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 29 पहाड़िला पोस्ट चिराना पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना हॉल कानिस्टेबल नम्बर 949 पुलिस थाना मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (इस्माईल खान) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।......... कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भंवर लाल सैनी पुत्र श्री मनोहर लाल सैनी उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 29 पहाड़िला पोस्ट चिराना पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना हॉल कानिस्टेबल नम्बर 949 पुलिस थाना मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 343 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर क्रमांक 939-42 दिनांक 23.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या–2, जयपुर। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला झुन्झुनू। 3 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** KANCHAN BHATI **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]8/2024 1[illegible]8

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GYAN SINGH CHOUDHARY

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 14/06/1986 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)